श्री राम अवधेश सिंह : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि भोजपुर की पुलिस रोहतास जिले के इन आदमियों को वहां की पुलिस को बिना सूचना दिये, बिना उनकी परमिशन लिए पकड़ कर ले गयी और उनको मार दिया।

वहां पर एक आई०पी०एस० आफिसर हैं राजपुर थाने के भोजपुर जिले में प्रति-नियुक्ति पर, ट्रेनिंग पर हैं उसका कहना है कि गेलेन्टरी रिवार्ड लूंगा। बिना गेलेन्टरी रिवार्ड लिये नहीं जाऊंगा। इसीलिये उसने हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को पकड़ कर मारा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रोहतास क्षेत्र में भोजपुर जिले की पुलिस व्यवस्था कानून को इतना तोड़ती है कि वहां पर राम अवतार नाम का एक दादा, नोन क्रिमिनल था, उसको पकड़ लिया गया। धनबाद में उसको पकड़ा गया। उसको रात में पकड़ा गया। यह सब बातें फाइल पर और अखबारों और कागज पर हैं। उसको धनबाद में पकड़ा गया। उसको बताया गया कि एनकाउन्टर में दिखाया गया है और यह कहा गया है कि वह प्लानिंग कर रहा था.... (व्यवधान)।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री राम अवधेश सिंह : पकड़ लेते हैं त कहते हैं कि भाग रहा था, इसलिये मार दिया। कहते हैं कि डकैती की प्लानिंग कर रहा था। इस तरह से गलत बातों से कार्य-पालिका नहीं चल सकती है। अन्त में सरकार से मांग करता हूं कि सरकार वहां जाकर देखे। वहां पर विधवाओं को देखे जिनके नवजवानों को मारा गया है। उनमें किसी के चार बच्चे हैं, किसी के तीन बच्चे हैं। उनको कम से कम एक-एक लाख रुपया हर्जाना दिया जाय और जिन पुलिस अधिकारियों के निर्दोष लोगों को मारा है उनको गिफ्तार किया जाय, 303 का मुकदमा चलाया जाय। अगर सरकार इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो अराजकता फैल जायेगी। इसलिये मैं सरकार से, और बिहार सरकार से भी, इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि कि तत्काल वहां के भोगपुर जिले के राजपुर थाने की पूरी पुलिस को गिरफ्तार किया जाय, उन पर कानूनी मुकदमा चलाया मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

Reported strictures passed by Bombay High Court against Shri Jagdish Tytler

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जब 10 अगस्त, 1986 को प्राग से नई दिल्ली लौट रहे थे तो उनके हवाई जहाज में कुछ खराबी हो गई थी। हवाई जहाज मास्को में उतारना पड़ा था। उसके लिये एअर इंडिया ने 13 अगस्त, 1986 को अपने डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कपूर को लम्बी छुट्टी पर जाने के लिये विवश किया था। श्री कपूर अपना मामला अदालत में ले गये थे। बम्बई हाई कोर्ट ने उसका फैसला दिया है। जस्टिस एस०एम० दाऊद ने यह निर्णय दिया कि श्री कपूर को हटाना गलत था, श्री कपूर को नौकरी पर वापस लिया जाय जो भी तरक्की मिलनी चाहिये थी वह तरक्की उन्हें मिले, मुआवजे के रूप में 12 फीसदी ब्याज, भी दिया जाय जो घाटा उन्हें उठाना पड़ा, वह दिया जाय। यह फैसला एक गंभीर फैसला है। जस्टिस दाऊद ने तत्कालीन नागरिक विमानन मंत्री श्री जगदीश टाइटलर के खिलाफ गंभीर स्ट्रिक्चर पास किये हैं। जस्टिस दाऊद ने कहा है, थे उद्धृत करता हूं–

"Arbitrariness was writ large in the decision to send and continue the petitioner on an idefinite leave."

जस्टिस दाउद ने आगे कहा है मैं उद्धृत कर रहा हूं –

'The two notes by Mr. Tytler show a determination to somehow find fault with the petitioner and hound him out of the Corporation.

यह निन्दात्मक टिप्पणी बहुत गंभीर है और तत्कालीन नागर विमानन मंत्री

के खिलाफ है। यह हाई कोर्ट के जज द्वारा दी गई है । कल ही महाराष्ट्र में वहां के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जस्टिस लेंटिन कमीशन ने कुछ कहा है ।उसके अनुसार उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। यह महाराष्ट्र की घटना है, वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने त्याग दिया है

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That was really a different type of question.,

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश : वह कमी न था, या कोर्ट का जजमेंट है ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI JAGDISH TYTLER); There the people had died. Here I was tryingi to save the people. I will give you also the version. You are not quoting what the Judgement! has said.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभाध्यक्ष जी, मेरे पास पूरा जजमेंट न हीं है । मैं चाहूंगा कि पूरा फैसला सरकार देखे । लेकिन जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह अंश बड़ा गंभीर है । इस स्थिति में जब तक फैसला अदालत में उच्च अदालत में या बेंच के सामने जाये या सुप्रीम कोर्ट में जाय, श्री टाइटलर को कोई अदालत मुक्त नहीं करती है तब तक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री जगदीश टाइटलर : मुझे तो किसी ने सजा नहीं दी, न मेरे खिलाफ कुछ कहा है पहली बार मैं यह कहना चाहता हूं । महाराष्ट्र के बारे में जो बात कही है वहां पर पब्लिक के अंदर मौतें हुई हैं जिसके ऊपर उन्होंने मारल रिस्पांसबिलिटी लेकर करा है । यहां मौतें बचाने के लिए मैंने यह ऐक्शन लिया है । मैं एक बात बाजपेयी जी को बताना चाहता हूं कि I would quote a few lines what hon, Justice Daud has said and Mr. Vajpayee should know about this. The hon. Judge has further also observed in the judgment that actif n should have been taken sgainst the Managing Director. He does not deny the action was not right. Action should have been taken against the Managing Director. If the action had to be taken it is against the highest functionary. I would like to say, Sir, that this was not the first time this had happened. This was the third time that the plane had gone bad. I did not want to make a lower person-* the scape-goat. I wanted to create an impression in the public — I wanted to create an example in the public-that the safety of the aircraft, the safety of the public is my first thing On that basis the same Mr. Kapoor had also brought many, many things against me which Mr. Vajpayee does not know. I would like to point out what hon. Justice has said.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश) : मिनिस्ट्रियल रिस्पांसबिलिटी इन्वाल्व है ।

SHRI JAGDISH TYTLER: Now, Sir, this is an administrative step. Every day millions of people are suspended all over the country. He has been suspended. The Judgq said "he should be reinstated." It is for the management to do it. It is the Ministry which has taken action....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There are strictures passed....

SHRI JAGDISH TYTLER: No, not at all.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I have quoted from the judgement of Justice S. M. Daud.

SHRI JAGDISH TYTLER: Don't mislead the House. Don't try to take the things....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपसभाध्यक्ष जी, कपूर ने यह आरोप लगाया है कि टाइटलर उन्हें इसलिए हटाना चाहते थे क्योंकि वे एक विशेष तरह का विमान खरीदने में रुचि रखते थे ।

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, I am glad that Mr. Vajpayee has brought out this thing. I would also like to say that the judgement has nowhere observed any malice or malafides towards the petitioner. As a matter of fact, the hon. Judge has observed "despite reckless allegations

[Shri Jagdish Tytler]

that Kapoor had made...." So, please don't quote something which is not right.

Demand for banning screening of Tamil Film "Orae Oru Gramathilae"

*SHRI N. RAJANGAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to bring to the notice of this august House a very important issue. The late leader of the downtrodden and also the Chairman of the Draft Committee of our Constitution, Dr. Ambedkar, is castigated in a Tamil film entitled 'Orae Oru Gramathilate' (in only one Village). In the movie, aspersions are cast deliberately on the person of Dr. Ambedkar, who adorns the hearts of about 13 crores of downtrodden people in this sub-continent. The movie is a criminal slur not only on Dr. Ambedkar but also on the nation as a whole. There is simmering among the people of Tamil Nadu whoever Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar. This simmering can erupt at any time if the wrong is not undone at the earliest because the leaders of the downtrodden are planning to launch a statewide agitation. Already people have started besieging the cinema threatres where this movie is screend. I want to bring to your notice the nucleus of the story on which the film is cast.

In that film, an upper caste Hindu lady becomes an I.A.S. Officer by producing a forged certificate to the effect that she belongs to Scheduled Caste Community. Ultimately she is caught and prosecuted. On being questioned as to why she chose this path she charges Dr. Ambedkar as the person responsible for forcing her to do this crime for he was one of the founding fathers of our Constitution.

Mr. Vice Chairman, Sir, the writing of this story and casting it into a film is the nefarious design of a group of anti-social elements. This film has created such a communal storm that people belonging to various sections of the proletarian society are thinking of taking to the streets. I only wonder how the Central Board of Censor gave certificate to the movie allowing it to be screened.

*English translation of the original speech delivered in Tamil.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Ploase the name of the movie.

SHRI N. RAJANGAM: 'Orae Oru Gramathilae' (In only one Village) is the > name of the movie. The movie is a product of some religious fanatics and caste-ists with an ulterior motive of castigating the makers of our Constitution. If we don't take notice of such derogatory remarks on a statesman like Dr. Ambedkar, the day is not far when the anti-national elements may lay their hands on the great nationalists like Mahatma Gandhi and Pt. Jawahar Lai Nehru. Therefore, I want the Central Board of Censor to apologize and withdraw the certificate immediately so as to ban the screening of the movie in the future. I also appeal to the Hon'ble members and the leaders of various parties to join me in my appeal to the Government to undo the wrong.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I associate myself with the hon. Member.

SHRI S. B. RAMESH BABU (Andhra Prad»sh); Sir, T also associate myself with the hon. Member.

Need to teach the younger generation about the sacrifices made by freedom fighters through scfiooh education

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके बलिदानों के इतिहास को शिक्षा के माध्यम से पाठ्यक्रम में शरीक किये जाने तथा भावी पीढ़ी को इन बलिदानों की याद ताजा कर ने के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। देश की भावी पीढ़ी जिसने गुलामी भी नहीं देखी और आजादी के बलिदानों को सुना और देखा भी नहीं है किसी देश में बलिदान और त्याग का इतिहास अगर लिखा दिया जाए तो उस देश में भावी पीढ़ी में बलिदान त्याग की भावना समाप्त प्रायः हो जाती है। बहुत बड़े बलिदानों का इतिहास इस देश की आजादी का रहा है और आज उसको धीरे-धीरे भुलाए जाने का प्रयत्न